

कर-राजस्व
निगम कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

	(करोड़ रुपए)		
	बजट	संशोधित	बजट
	2000-2001	2000-2001	2001-2002
(क) साधारण संग्रहण	13421.41	13764.61	17261.31
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	21077.06	19761.06	25891.97
(ग) अधिभार	4048.04	4880.00	830.00
(घ) विविध प्राप्तियां	1493.49	315.33	216.72
जोड़	40040.00	38721.00	44200.00

वर्ष 2000-2001 के दौरान 38721 करोड़ रुपए और 2001-2002 में 44400 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है।

निगम-कर से भिन्न आय पर कर

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

(करोड़ रुपए)			
	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
(क) साधारण संग्रहण	19396.26	22112.26	15129.28
(ख) अग्रिम कर संग्रहण	6396.98	6903.22	22693.92
(ग) अधिभार (संघ)	4122.49	4448.75	625.00
(घ) विविध प्राप्तियां	1674.27	1806.77	2151.80
जोड़	31590.00	35271.00	40600.00

वर्ष 2000-2001 के दौरान 35271.00 करोड़ रुपए और वर्ष 2001-2002 में 40600 करोड़ रुपए के संग्रहण होने का अनुमान है।

व्यय कर

व्यय कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत, ऐसे होटलों में ठहरने पर किए गए व्यय के संबंध में कराधान का प्रावधान है, जहाँ किसी रिहायशी स्थान की एक इकाई के कमरे का प्रति व्यक्ति दैनिक किराया बारह सौ रुपए अथवा उससे अधिक हो। 1 अक्टूबर, 1998 से अधिनियम के खण्ड 3 में निर्धारित 1200 रुपए की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2000 रुपए अथवा अधिक कर दिया गया है। दिनांक 1-6-1992 से पहले किए गए व्यय के लिए यह राशि प्रति व्यक्ति प्रति दिन चार सौ रुपए अथवा उससे अधिक थी। आरंभ में व्यय कर प्रभार्य व्यय के 10% की दर पर रखा गया था। यह 1-6-1989 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इसे दिनांक 1.6.94 से वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा पुनः घटाकर 10% कर दिया गया है। दिनांक 1-10-1991 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1991 (सं. 2) द्वारा व्यय कर ऐसे रेस्तरां में किए गए व्यय पर भी लगाया गया था जो वातानुकूलन की सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराते हों अथवा इन सुविधाओं को जुटा सकते हों। यह कर 1.6.1992 से वित्त अधिनियम 1992 द्वारा हटा दिया गया था। व्यय कर राजनयिक विशेषाधिकार रखने वाले व्यक्तियों के मामले में देय नहीं है। 1.10.1992 के बाद विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय पर भी यह कर लागू होता है। 2000-2001 के लिए संशोधित अनुमान में 330 करोड़ रु. तथा 2001-2002 के लिए बजट अनुमान में 330 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

धन कर

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय विशिष्ट परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया। शेरों, बैंक में जमा राशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया। ऐसा चैलर्या समिति की सिफारिश पर किया गया, जिसने यह सुझाव दिया था कि करदाताओं को शेरों, प्रतिभूतियों, बॉण्डों, बैंक-जमा आदि जैसी उत्पादक परिसम्पत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा म्यूचुअल फण्डों के जरिए भी निवेशों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, इन वित्तीय परिसम्पत्तियों को धन-कर से छूट दी जानी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश की थी कि धन-कर व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा सभी कम्पनियों पर, केवल अनुत्पादक परिसम्पत्तियों जैसे आवासीय मकानों, फार्म हाउसों, शहरी भूमि, आभूषणों, बुलियन, मोटर कार, विमान, नावों, यॉट आदि के संबंध में ही लगाया जाना चाहिए।

धन-कर के संबंध में संशोधित अनुमान 2000-2001 में 145 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2001-2002 में 145.00 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

सीमा शुल्क

वर्ष 2000-2001 के लिए निवल सीमा शुल्क राजस्व 49781 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह अनुमान 2001-2002 के लिए 54822 करोड़ रुपए है। अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए)			
	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
(i) आयात शुल्क	52756	49066	54005
(क) बुनियादी शुल्क	27841	27451	31019
(ख) बुनियादी शुल्क पर अधिभार	1641	1505	—
(ग) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	17014	16582	18950
(घ) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)	4960	3269	3740
(ङ) मोटर स्प्रीट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	—	—	—
(च) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	1300	259	296
(ii) निर्यात शुल्क	1	1	1
(iii) निर्यात पर उपकर	149	141	161
(iv) अन्य प्राप्तियां	666	573	655
(v) जब्त सोने और चांदी की बिक्री	—	—	—
जोड़	53572	49781	54822

सीमा-शुल्क के विभिन्न घटकों के ब्यौरे इस प्रकार है:

(i) **आयात शुल्क :-** 52756 करोड़ रुपए के मूल अनुमान की तुलना में, 2000-2001 के संशोधित अनुमान 49066 करोड़ रुपए आंका गया है। निवल राजस्व में अनुमानित कमी मुख्यतः शोधित पेट्रोलियम तेलों, मशीनरी और मशीनी औजार, साज-सामान, औषधीय उत्पाद, मोटर वाहन पुर्जों, लोहा और इस्पात, ताम्बा, रसायन उत्पाद, परियोजना आयातों आदि से होने वाली निम्न राजस्व प्राप्तियों के कारण है।

वर्ष 2001-2002 में आयात शुल्क की प्रत्याशित वसूली (निवल) वर्ष 2000-2001 के संशोधित अनुमान की तुलना में 4939 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती है। सीमाशुल्क राजस्व में वृद्धि आयातों की मात्रा में वृद्धि एवं प्रत्याशित बढ़ोतरी की वजह से है।

- i (क) बुनियादी शुल्क : वर्ष 2000-2001 के दौरान बुनियादी सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 27451 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान 31019 करोड़ रुपए रखा गया है।
- i (ख) बुनियादी शुल्क पर अधिभार : वर्ष 2000-2001 के दौरान आयातों पर अधिभार से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 1505 करोड़ रुपए होना संभावित है। यह अधिभार 31 मार्च, 2001 को कालातीत हो जाएगा। इसके कारण 2001-2002 के दौरान होने वाला नुकसान 2000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।
- i (ग) अतिरिक्त सीमा शुल्क : वर्ष 2000-2001 के दौरान अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 16582 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान में यह राशि 18950 करोड़ रुपए रखी गई है।
- i (घ) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क : वर्ष 2000-2001 के दौरान विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्रत्याशित राजस्व वसूली लगभग 3269 करोड़ रुपए होना संभावित है। वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में यह राशि वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान में 4960 करोड़ रुपए की तुलना में 3740 करोड़ रुपए रखी गई है।
- i (ङ) मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क : अनुमान शून्य है।
- i (च) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क : वर्ष 2000-2001 के संशोधित अनुमान में यह राशि 259 करोड़ रुपए रखी गई है। वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में यह राशि 296 करोड़ रुपए रखी गई है।

(ii) **निर्यात शुल्क :-** 2000-2001 में निर्यात शुल्कों से निवल संग्रहण का संशोधित अनुमान 1 करोड़ रुपए के मूल अनुमानों की तुलना में 1 करोड़ रुपए रखा गया है। 2001-2002 के बजट अनुमानों में यह 1 करोड़ रुपए रखी गई है।

(iii) **निर्यात पर उपकर :-** निर्यात पर उपकर:- वर्ष 2000-2001 के संशोधित अनुमान और 2001-2002 के बजट अनुमान में यह क्रमशः 141 करोड़ रुपए और 161 करोड़ रुपए रखी गई है।

(iv) **अन्य प्राप्तियां :-** वर्ष 2000-2001 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में संग्रहण की राशि क्रमशः 573 करोड़ रुपए और 655 करोड़ रुपए रखी गई है।

संघ उत्पाद शुल्क

संघ उत्पाद शुल्क तथा उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। 2000-2001 के दौरान 70681 करोड़ रु. की प्राप्तियां होने का अनुमान है जबकि मूल बजट अनुमानों में 71252 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जो 571 करोड़ रुपए की कमी दर्शाता है। 2001-2002 में 81720 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। निम्नलिखित सारणी में उत्पाद-शुल्क राजस्व का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है :-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
1. (क) बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क नीचे (ख) और (ग) को छोड़कर	57313	56921	65082
(ख) मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	1000	1028	1123
(ग) हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	4000	4957	5413
जोड़	62313	62906	71618
2. वस्त्रों और वस्त्र वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	651	569	623
3. बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	3697	3177	3957
4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	—	—	1000
5. निम्नलिखित द्वारा प्रशासित निर्धारित उपकर:			
(क) राजस्व विभाग	4306	3747	4250
(ख) अन्य विभाग	285	282	272
जोड़	4591	4029	4522
जोड़ (1+2+3+4+5)	71252	70681	81720

बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्कों (मोटर स्प्रिट और एच.एस.डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क छोड़कर) के 57313 करोड़ रुपए के मूल अनुमानों की तुलना में, संशोधित अनुमान 56921 करोड़ रुपए रखा गया है। 392 करोड़ रु. की अनुमानित गिरावट मुख्यतया हाई स्पीड डीजल तेल, मोटर स्प्रिट, कांच और कांच की बनी वस्तुएं, मोटर वाहन, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर, लोहे एवं इस्पात से बनी वस्तुओं, तांबा, विविध रसायन उत्पादों, खाये जाने वाले तम्बाकू आदि से कम राजस्व वसूली के कारण है।

बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्कों (मोटर स्प्रिट और एच.एस.डीजल तेल को छोड़कर) में 2000-2001 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान 2001-2002 में 8161 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रत्याशित वृद्धि एवं उछाल के कारण है। कर अनुपालन में भी बढ़ोत्तरी की आशा है।

सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों पर लगाये गये राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क नामक अतिरिक्त शुल्क से 2001-2002 के दौरान 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है।

सेवा कर

वर्ष 2000-2001 का संशोधित अनुमान 2200 करोड़ रुपए रखा गया है। 2001-2002 का बजट अनुमान 3600 करोड़ रुपए है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
(i) टेलीफोन	906	981	1271
(ii) बीमा	594	465	602
(iii) दलाली	109	155	201
(iv) विज्ञापन	114	120	155
(v) कूरियर	71	74	95
(vi) रेडियो पेजिंग	32	10	13
(vii) अन्य मौजूदा सेवाएं	374	395	513
(viii) नई सेवाएं	—	—	750
जोड़	2200	2200	3600

संघ राज्य क्षेत्रों के कर

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
भू-राजस्व	1.78	1.80	1.81
स्टाम्प और पंजीकरण	20.35	20.44	21.14
राज्य उत्पाद शुल्क	99.48	102.94	104.19
बिक्री कर	178.70	205.00	221.00
वाहनों पर कर	16.19	19.10	19.90
सामान और यात्रियों पर कर	3.45	3.55	3.75
बिजली पर कर और शुल्क	6.75	6.00	6.50
अन्य कर और शुल्क	2.62	3.14	3.39
जोड़	329.32	361.97	381.68
घटाइए			
संघ राज्य क्षेत्रों के करों और शुल्कों का स्थानीय निकायों को अंतरण	0.15	0.15	0.16
संघ राज्य क्षेत्रों के निवल कर	329.17	361.82	381.52

अन्य कर और शुल्क

ब्यौरा निम्न प्रकार है

(i) विदेश यात्रा कर	250.00	253.00	261.00
(ii) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	580.00	577.00	589.00
जोड़	830.00	830.00	850.00

(i) वित्त अधिनियम, 1971 के जरिए 15 अक्टूबर, 1971 से विदेश यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में इस योजना में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री पर 500/- रु. की दर पर कर लगाने की व्यवस्था है। पड़ोसी देशों को की गयी यात्रा के लिए कर की दर 150/- रु. है। वापसी राशि को घटाकर संग्रहित राशि का एक तिहाई प्रतिशत संग्रहण प्रभारों के रूप में वाहक को अदा किया जाता है जिसके लिए व्यय बजट में व्यवस्था की गयी है।

(ii) वित्त अधिनियम, 1989 के जरिए अन्तर्देशीय हवाई यात्रा पर कर लगाना प्रारम्भ किया गया। यह कर किराए के 15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित होता

है और विमान द्वारा देश के भीतर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों द्वारा देय होता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप द्वीप समूह मार्ग पर की गयी यात्राओं को इस कर से छूट प्राप्त है। कुछ अन्य छूटें भी लागू होती हैं, जैसे-टिकट खरीदने हेतु अमरीकी डालर में किये गए भुगतान पर छूट प्रदान की जाती है। संग्रहण प्रभारों के रूप में वाहक को संग्रहण राशि के 5 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। संग्रहण प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था व्यय बजट में की गयी है।